

न्यायालय ::- अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिला: डीडवाना-कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कुसुम सुत्रकार आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या: 86 / 2026

1. रणजीत पुत्र उगमाराम, निवासी दीपपुरा, पुलिस थाना कुचामनसिटी, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।
2. राजकुमार पुत्र भागुराम, निवासी कुकनवाली, पुलिस थाना चितावा, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।
3. परमाराम उर्फ पिन्दू पुत्र रतनाराम, निवासी दीपपुरा, पुलिस थाना कुचामनसिटी, डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।
4. झाबर सेवदा उर्फ सम्पत सेवदा पुत्र मोहनराम, निवासी कुकनवाली, पुलिस थाना कुचामनसिटी, डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।

— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, कुचामन सिटी, जिला: डीडवाना-कुचामन।

— अभियोगी

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या: 93 / 2026

1. भूराराम पुत्र पुसाराम, निवासी कुचामन, जिला: डीडवाना-कुचामन।

— प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, कुचामन सिटी, जिला: डीडवाना-कुचामन।

— अभियोगी

—:: उपस्थिति ::—

1.	श्री हरदेव सिंह चौधरी श्री श्रीराम चौधरी	—	अधिवक्ता, अभियुक्तगण रणजीत, राजकुमार, परमाराम उर्फ पिन्दू एवं झाबर उर्फ सम्पत की ओर से।
2.	श्री रामेश चौधरी		अधिवक्ता अभियुक्त, श्री भूराराम
3.	श्री मनीष शर्मा	—	अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
4.	श्री भवानी सिंह	—	अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध अन्तर्गत धारा 191(2), 193(3), 126(2), 115(2), 285 भारतीय न्याय संहिता
प्रथम सूचना संख्या: 157/2026, पुलिस थाना कुचामन सिटी

दिनांक :- 19-06-2026

—:: आदेश ::—

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रणजीत, राजकुमार, परमाराम उर्फ पिन्टू, झाबर उर्फ सम्पत एवं प्रार्थी/अभियुक्त भूराराम की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पृथक-पृथक अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पेश किए गए हैं। उक्त दोनों जमानत प्रार्थना-पत्रों के एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बंधित होने के कारण उक्त दोनों जमानत प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण इस आदेश के जरिये एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थना-पत्रों की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 30-5-2026 को परिवादी विजय सिंह ने थानाधिकारी, पुलिस थाना कुचामन के समक्ष उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। वह नावां विधानसभा का संगठन प्रभारी हैं। वर्तमान में भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान आयोजित किये जा रहा है। इसी क्रम में जिला डीडवाना कुचामन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुचामन सिटी में दिनांक 28-05-2026 से दिनांक 29-05-2026 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सरला बिरला कल्याण मण्डल कुचामनसिटी में आयोजित किया गया। इसी क्रम में प्रतिभागियों के मार्गदर्शन हेतु कल दिनांक 29-05-2026 को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड का उक्त प्रशिक्षण शिविर स्थल पर आने का कार्यक्रम था। वह उक्त प्रशिक्षण महाअभियान का व्यवस्था प्रमुख था। मदन राठौड के उक्त कार्यक्रम में आगमन के समय करीबन 2.50 पीएम पर वह, भाजपा जिला महामन्त्री देवीलाल, नारायण सिंह, विनोद, योगेन्द्र सिंह व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत

के लिये आयोजन स्थल के मुख्य द्वार के बाहर खड़े थे। प्रदेशाध्यक्ष मदन की कार आयोजन स्थल पर पहुंच से करीबन 50-60 मीटर पहले भूराम, रामनिवास, अंकित, ओमप्रकाश, दिनेश, सुरेश, रमेश, पिन्टू, रणजीत, रामुराम, राजकुमार, सम्पत एवं 10-15 अन्य लोग तख्तियां लेकर आये प्रदेशाध्यक्ष पर हमला करने की नियत से तख्तियों में लगे डण्डों से उनकी एस्कोर्ट कार को रोककर प्रदेशाध्यक्ष की कार की तरफ बढ़े जिन्हें देखकर प्रदेशाध्यक्ष को बचाने के लिये वह उनकी कार की तरफ आया तो उसके साथ धक्का मुक्की कर गिरा दिया। प्रदेशाध्यक्ष की कार के आगे जाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया और उनको जान से मारने की नियत से उनके कार के शीशे तोड़ने लगे तभी वही मौके पर खड़े पुलिस अधिकारी विमल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी कुचामन एवं उपस्थित जाब्तो ने बीच बचाव किया। इसलिए कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, कुचामन सिटी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 157/2026 संस्थित की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं दौरान अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 191(2), 191 (3), 126(2), 115 (2), 285 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित किया गया है। उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से पेश किया गया है।
4. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।
5. विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने दौरान बहस जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये यह तर्क दिये है कि कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या तथ्यों के आधार पर आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29-05-2026 को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन की एस्कोर्ट गाड़ी रोककर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया गया न ही परिवादी विजय के साथ मारपीट की गई है। पुलिस द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत तथ्यों के आधार पर नामजद किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ग्राम दीपपुरा,

कुचनवाली एवं कुचामन के स्थाई निवासी है, जहां पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की चल एवं अचल सम्पत्ति स्थित है। इसलिये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में पूर्ण सहयोग हेतु तैयार व तत्पर है। इसलिये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसलिये जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर मदन राठौड़ प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की एस्कोर्ट को जबरदस्ती रोका एवं रास्ता अवरुद्ध कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करने का धारा 191(2), 191 (3), 126(2), 115 (2), 285 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तहत गम्भीर अपराध के आरोप है। इसलिये अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।
7. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार से है:—

क.सं.	प्रथम सूचना संख्या	पुलिस थाना	धारा	नतीजा
अभियुक्त रणजीत				
1.	155/2026	कुचामन	121(1), 132, 182(2) भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
अभियुक्त राजकुमार				
1.	174/2021	चितावा	143, 447, 323, 427, 341 भारतीय दण्ड संहिता	अन्वीक्षाधीन
2.	26/2013	चितावा	341, 323, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता	अन्वीक्षाधीन
3.	155/2026	कुचामन	121(1), 132, 182(2) भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
अभियुक्त परमाराम उर्फ पिन्दू				
1.	155/2026	कुचामन	121(1), 132, 182(2) भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
अभियुक्त झाबरमल उर्फ सम्पत				

1.	155 / 2026	कुचामन	121(1), 132, 182(2) भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
अभियुक्त भूराराम				
1.	155 / 2026	कुचामन	121(1), 132, 182(2) भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
2.	94 / 2026	कुचामन	127(2), 126(2), 115(2) 352, 189(2) भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन

8. केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का मार्ग सदोष अवरुद्ध करते हुए उनको जान से मारने से नियत से उनकी कार के शीशे तोड़ने का प्रयास कर तथा परिवादी पर भी हमला कारित करने के सम्बन्ध में अनुसंधान विचाराधीन है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रणजीत, राजकुमार, परमाराम उर्फ पिन्दू, झाबरमल उर्फ सम्पत तथा भूराराम के विरुद्ध पूर्व आपराधिक प्रकरण संस्थित होने का तथ्य दर्शित होता है।
9. इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त भूराराम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के S.B. Criminal Miscellaneous No. 4512/2026, Bhura ram Vs State of rajasthan में पारित आदेश के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में आज दिनांक तक गिरफ्तारी के सम्बन्ध में स्थग्न आदेश दिए जाने का तथ्य दर्शित होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र अपोषणीय होना भी प्रकट है।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **मध्यप्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा ए.आई.आर. 2014 (एस.सी.) पेज-626** में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-
- “Power in Sec. 438 Cr.P.C. is extraordinary in character and it is to be exercised only in exceptional cases, Where it appears that the person may be falsely implicated.....”
11. केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के सम्बन्ध में ऐसी कोई परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं कि धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थना

पत्र को स्वीकार किया जा सके। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपित अपराध की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

::-आदेश:-

12.अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण (1)रणजीत पुत्र उगमाराम, निवासी दीपपुरा, पुलिस थाना कुचामनसिटी, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान,(2) राजकुमार पुत्र भागुराम, निवासी कुकनवाली, पुलिस थाना चितावा, जिला डीडवान-कुचामन, राजस्थान, (3) परमाराम उर्फ पिन्टू पुत्र रतनाराम, निवासी दीपपुरा, पुलिस थाना कुचामनसिटी, डीडवाना-कुचामन, राजस्थान, (4) झाबर सेवदा उर्फ सम्पत सेवदा पुत्र मोहनराम, निवासी कुकनवाली, पुलिस थाना कुचामनसिटी, डीडवाना-कुचामन, राजस्थान एवं (5) भूराराम पुत्र पुसाराम, निवासी कुचामन, जिला: डीडवाना-कुचामन की ओर से प्रथम सूचना संख्या 157/2026 पुलिस थाना कुचामन के प्रकरण में प्रस्तुत उक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(कुसुम सुत्रकार)

अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिला: डीडवाना-कुचामन।

13. आदेश आज दिनांक 19-06-2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व प्रसारित किया गया।

(कुसुम सुत्रकार)

अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिला: डीडवाना-कुचामन।

::- प्रमाण-पत्र:-

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(गजेन्द्र सिंह)
आशुलिपिक ग्रेड प्रथम

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या: 86/2026, 93/2026
प्रथम सूचना संख्या: 157/2026, पुलिस थाना कुचामन सिटी
आदेश दिनांक 19-06-2026
Page 7 of 7

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।